



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235420
CG-DL-E-29042022-235420

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1882]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2022/वैशाख 8, 1944

No. 1882]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2022/VAISAKHA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

का.आ. 1982(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 316 (अ), दिनांक 24 जनवरी 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में NH56 के कि.मी. 64.11 से कि.मी.113.67 (मुसाफिरखाना) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "02 फरवरी, 2022 " को "अमर उजाला " और "द इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में NH56 के कि.मी. 64.11 से कि.मी. 113.67 (मुसाफिरखाना) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: अमेठी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मुसाफिरखाना				
	गांव का नाम: दुलारी नगर				
1	915	निजी	कृषि	0.045	रामललन पुत्र बृजनाथ नि0 मरौचातेतारपुर (915)
	तालुक का नाम: तिलोई				
	गांव का नाम: इन्हौना				
1	1408	अन्य	कृषि/गैर कृषि	0.0576	शकील अहमद पुत्र अ.हमीद रेशमा पत्नी शकील अहमद सिराजुन्निशा पत्नी स्व.हनीफ नि. ग्राम बंजर (1408)
2	1797	अन्य	कृषि/गैर कृषि	0.0025	सिराजुन्निशा पत्नी स्व.हनीफ नि. ग्राम (1797)
3	3687	अन्य	कृषि / गैर कृषि	0.1349	अकबर अली पुत्र हामिद अली हुस्नाबानो पत्नी अकबर अली खलीकुननिशा पत्नी महफूज मसऊदुरहमान महमूदुरहमान मकसूदुरहमान महबूबुरहमान मकबूलुरहमान पुत्रगण महफूजुरहमान मो.आदिल पुत्र लतीफ नि. ग्राम, शान मो. पुत्र इदरीश व अमीरूल निशा पत्नी शान मो., बंजर (3687)

	कुल	0.24	
--	-----	------	--

[फा. सं. NHAI/11013/LA/2011/Notif./PIU/Lucknow/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2022

S.O. 1982(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 316(E) , Dated 24 January 2022 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH56 on the stretch of land from Km 64.11 to Km 113.67 (Musafirkhana) in the district of Amethi in the state of UTTAR PRADESH ;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “The Indian Express” both dated 02 February 2022, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH56 in the stretch of land from Km. 64.11 to Km. 113.67 (Musafirkhana) in the district of Amethi in the State of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: Amethi		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Musafirkhana				
	Village: Dulari Nagar				
1	915	Private	Agriculture	0.045	Ram Lalan S/o Brajnath R/o Marochatetarpur 915
	Taluk: Tiloi				
	Village: Inhauna				
1	1408	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0576	Shakil Ahmad S/o Ahmad Hameed Reshma W/o Shakil Ahmad

					Sirajunisha W/o Late Haneef R/o Village Banzar. 1408
2	1797	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0025	Sirajunisha W/o Late Haneef R/o Village 1797
3	3687	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.1349	Akbar Ali S/o Hamid Ali Husnabano W/o Akbar Ali Khalikunnisha W/o Mahfooz Masudur Rahman, Mahmudur Rahman, Maqsoodur Rahman, Mahbubur Rahman, Maqboolur Rahman, S/o Mahfuzur Rahman Mo.Adil S/o Latif R/o Village, Shan Mohd. S/o Idrish & Amirul Nisha W/o Shan Mohd, Banzar 3687
			TOTAL	0.24	

[F. No. NHAI/11013/LA/2011/Notif./PIU/Lucknow/3D]

RAJESH GUPTA, Director